दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 23 अक्टूबर, 2024

<u>ज़मानत आवेदन 3084/2024</u>

कृष्ण याद गौर .....आवेदक

द्वारा: श्री सुभाष सिंह, सुश्री स्वाति सिंह, श्री शुभम सोनकर, अधिवक्तागण एवं श्री किरण पाल (पारोकर)।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य सरकार .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अजय विक्रम सिंह, राज्य के लिए अति.लो.अभि.।
उप निरीक्षक परमजीत, पुलिस थाना रनहौला।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन

<u>न्या. अमित महाजन *(मौखिक)*</u>

1. वर्तमान आवेदन प्राथमिकी सं. 863/2020 दिनांक 20.09.2020 में नियमित ज़मानत देने की मांग करते हुए दायर किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 ('**भा.दं.सं.**') की धारा 307 और आयुध अधिनियम, 1959 (**आयुध अधिनियम**) की धारा 27 के अंतर्गत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन रनहौला में पंजीकृत है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 20.09.2020 को आरके स्वीट्स, हरफूल विहार, दिल्ली में गोलीबारी की घटना के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। पीड़ित राकेश कुमार को कथित तौर पर एक हमलावर ने गोली मार दी थी।

3. पीसीआर कॉल मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और दुकान के अंदर और बाहर सड़क पर रक्त के धब्बे पाए। पीड़ित को पहले तारक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसकी चोटों की गंभीरता के कारण उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर में अंतरित कर दिया गया। उसकी चिकित्सा रिपोर्ट में बंदूक की चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। इसके बाद, वर्तमान मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई।

4. दिनांक 21.09.2020 को सूचना प्राप्त हुई कि पीड़ित ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया है, जिसके बाद भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत अपराध को भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ बदल दिया गया।

5. मृतक की शव परीक्षा में मौत का कारण *पेट में लगी बंदूक की चोट के कारण रक्तस्राव* बताया गया था, *जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।*

6. इसके बाद, कृष्ण याद गौर - आवेदक/अभियुक्त की पहचान की गई और सीसीटीवी फुटेज की बरामदगी के बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसमें अपराध स्थल के पास उसकी उपस्थिति और घटना के समय उसकी

मोटरसाइकिल संदिग्ध तरीके से चलती दिखाई दी। उसकी गिरफ़्तारी के बाद, पुलिस ने रक्त से सने जूते के साथ एक देसी पिस्तौल बरामद की जिसमें गोलियाँ भी भरी थी।

7. जाँच पूरी होने के बाद, वर्तमान मामले में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 302/506 और आयुध अधिनियम की धारा 25 (1ख) / 27 के अंतर्गत विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था, और बाद में आरोप विरचित किए गए हैं।

8. आवेदक द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ज़मानत आवेदन को दिनांक 08.07.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए जा चुके हैं। इसलिए आवेदक की अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं है।

10. उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, और कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी- मृतक की पत्नी- के परिसाक्ष्य में विरोधाभास हैं। उन्होंने बताया कि, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी परीक्षा के दौरान, उसने दावा किया कि उसने आवेदक को मृतक की बगल के नीचे के क्षेत्र में एक देसी पिस्तौल से गोली चलाते हुए देखा था। उसने बयान दिया कि उक्त

घटना को उसके बेटे बंटी ने भी देखा था। हालाँकि, पूछताछ के दौरान, उसने पहले बयान दिया था कि उसने और उसके बेटे ने केवल गोली चलने की आवाज़ सुनी और उसके बाद दुकान की ओर भागे। उनका प्रतिवाद है कि ये विसंगतियाँ कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की विश्वसनीयता को कम करती हैं और अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करती हैं।

11. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है, जैसा कि उसके आचरण से पता चलता है। पुलिस ने कथित घटना से अगले दिन आवेदक को उसके घर से गिरफ़्तार किया, और यह तथ्य कि उसने भागने का प्रयास नहीं किया, यह दर्शाता है कि वह अपराध में शामिल नहीं था।

12. अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक 21.09.2020 से कारावास में है, उसका पूर्ववृत्त इतिहास बेदाग है और नाममात्र भूमिका के अनुसार उसका आचरण संतोषजनक रहा है।

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक (**अति.लो.अभि.**) ने प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध आरोप गंभीर और संगीन हैं और आवेदक द्वारा उठाए गए बचाव विचारण का विषय हैं और यह तय करते समय उन पर विचार नहीं किया जा सकता कि आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतक की हत्या के जघन्य अपराध में सक्रिय रूप से शामिल है।

14. उन्होंने प्रस्तुत किया कि ज़मानत पर रिहाई की माँग करने वाले आवेदन पर विचार करने के चरण में, न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए साक्षियों की विश्वसनीयता पर विचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केवल अभिरक्षा में लंबी अवधि बिताना, ऐसे जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता।

15. उन्होंने प्रस्तुत किया कि जाँच के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फ़ुटेज से कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता स्पष्ट है। फ़ुटेज में स्पष्ट रूप से आवेदक को प्रासंगिक समय पर अपराध स्थल के आसपास के क्षेत्र में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, फ़ुटेज में संदिग्ध रूप से चलती हुई दिखाई देने वाली मोटरसाइकिल से आवेदक का पता लगाया गया है, क्योंकि यह उसके नाम पर पंजीकृत पाई गई।

16. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि फ़ोरेंसिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष के आरोपों का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। फ़ोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त के जूतों पर रक्त के धब्बे पाए गए जो मृतक के रक्त से मेल खाते थे। इसके अतिरिक्त, मृतक को मारने वाली गोली के खोल का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि आवेदक की निशानदेही पर बरामद की गई देसी पिस्तौल से दागी गई गोलियाँ उसके खोल के समान थीं।

17. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य आवेदक को और भी अधिक दोषी ठहराता है। मृतक की पत्नी और उसके बेटे

बंटी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी जाँच के दौरान मृतक को गोली मारने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में आवेदक की पहचान की।

18. उन्होंने बयान दिया कि प्रथम दृष्टया, कथित अपराध के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाले ठोस साक्ष्य मौजूद हैं।

19. माननीय शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णयों की शृंखला में लगातार उन कारकों पर ज़ोर दिया है जिन्हें ज़मानत आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिनमें शामिल हैं: (i) अपराध की प्रकृति या गंभीरता; (ii) साक्ष्य की प्रकृति और अभियुक्त के लिए अद्वितीय परिस्थितियाँ; (iii) अभियुक्त द्वारा न्याय से बचने की संभावना; (iv) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर रिहाई का संभावित प्रभाव और इसके सामाजिक परिणाम; और (v) अभियुक्त द्वारा छेड़छाड़ में शामिल होने की संभावना।

20. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध आरोपित अपराध जघन्य और गंभीर है, और अगर साबित हो जाता है, तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है। माननीय शीर्ष न्यायालय ने ***सतीश जग्गी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य:*** **(2007) 11 एससीसी 195** में अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्षियों की विश्वसनीयता प्रश्न पर, अभियुक्त द्वारा ज़मानत की माँग करने वाले आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को विचार नहीं करना चाहिए; यह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला मामला है। इसके अतिरिक्त, कई निर्णयों में यह भी अभिनिर्धारित

किया गया है कि अभियुक्त द्वारा ज़मानत की माँग करने वाले आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय द्वारा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर इतनी गहराई से विचार करना उचित नहीं होगा कि अभियुक्त की दोषसिद्धि की संभावना का पता लगाया जा सके। यह भी विचारण का मामला है।

21. मृतक की शव परीक्षा रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतक की मौत बंदूक की चोट के कारण हुई थी। प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय को लगता है कि अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है जो आवेदक को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराती है। सबसे पहले, जाँच के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में आवेदक की आस-पास की जगह पर मौजूदगी दिखाई देती है और संदिग्ध रूप से चलती हुई एक मोटरसाइकिल भी कैद होती है, जिससे आवेदक का पता लगाया गया है। दूसरे, फ़ोरेंसिक साक्ष्य बताते हैं कि आवेदक के जूतों पर रक्त के धब्बे पाए गए जो मृतक के रक्त से मेल खाते हैं। इसके अतिरिक्त, बंदूक से संबंधित साक्ष्य - मृतक के शरीर से बरामद गोली का खोल आवेदक की निशानदेही पर बरामद देसी पिस्तौल से मिले कारतूस से मेल खाता है। अंत में, मृतक की पत्नी और बेटे ने मृतक को गोली मारने वाले व्यक्ति के रूप में आवेदक की पहचान की है। बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए छोटे-मोटे विरोधाभासों के बाद भी, साक्षियों द्वारा की गई पहचान तथा अन्य संपोषक साक्ष्यों के आधार पर यह बात पुष्ट होती है।

22. अपराध की प्रकृति और प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि इस स्तर पर ज़मानत देना न्याय के हित में नहीं होगा।

24. यह स्पष्ट है कि ज़मानत देने का काम मनमाना नहीं होना चाहिए। माननीय शीर्ष न्यायालय ने ***नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य:*** **(2014) 16 एससीसी 508** में ज़मानत आदेश को अपास्त करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

> *"16. हमारे सामने जो मुद्दा प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि क्या यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बातिल कर सकता है और दूसरे प्रत्यर्थी की स्वतंत्रता को कम कर सकता है? हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि स्वतंत्रता मनुष्य के लिए एक अमूल्य वस्तु है। यह संवैधानिक अधिकार की नींव पर आधारित है और मानवाधिकार सिद्धांत पर और अधिक बल देता है। यह मूल रूप से एक नैसर्गिक अधिकार है। वास्तव में, कुछ लोग इसे जीवन का व्याकरण मानते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को खोना या दुनिया की सारी दौलत के बदले में इसे बेचना नहीं चाहेगा। सदियों से लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के अभाव में खालीपन की भावना पैदा होती है। स्वतंत्रता की पवित्रता किसी भी सभ्य समाज की धुरी होती है। यह एक ऐसा मौलिक मूल्य है जिस पर सभ्यता टिकी हुई है। इसे शक्तिहीन और निष्क्रिय नहीं होने दिया जा सकता। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित होने का उसके मन और शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक लोकतांत्रिक निकाय की राजनीति जो विधि के शासन से जुड़ी होती है, वह उत्सुकता*

से स्वतंत्रता की रक्षा करती है। लेकिन, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं होती। समाज विधि की प्रक्रिया के माध्यम से अपने सामूहिक ज्ञान से किसी व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता को वापस ले सकता है, जब वह व्यक्ति सामूहिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज़ोर उस सीमा तक नहीं दिया जा सकता, जिससे समाज में अराजकता और अव्यवस्था पैदा हो। एक समाज अपने सदस्यों से ज़िम्मेदारी और जवाबदेही की अपेक्षा करता है, और वह चाहता है कि नागरिक विधि का पालन करें, इसे एक पोषित सामाजिक मानदंड के रूप में सम्मान दें। कोई भी व्यक्ति सामाजिक धारा के मूल में दरार पैदा करने का प्रयास नहीं कर सकता। यह अस्वीकार्य है। इसलिए, जब कोई व्यक्ति असंगत ढंग से व्यवहार करता है और समाज में अव्यवस्था पैदा करता है, जिसे समाज अस्वीकार करता है, तो विधिक परिणाम सामने आने ही चाहिए। उस स्थिति में, न्यायालय का कर्तव्य है। वह अपने पवित्र दायित्व को त्यागकर अपनी मर्ज़ी या मनमर्ज़ी से कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। उसे विधि के स्थापित मापदंडों द्वारा निर्देशित होना चाहिए।"

25. इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हुए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व है, न्यायालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे अन्य बातों के अतिरिक्त, प्रथम दृष्टया मामले, अपराध की गंभीरता, तथा अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना जैसे कारकों का, यद्यपि संक्षिप्त रूप से, परीक्षण और मूल्यांकन करें।

26. वर्तमान मामले में आरोप पहले ही विरचित हो चुके हैं और इस स्तर पर आरोपों को बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता। आवेदक द्वारा दिए गए बचाव की विश्वसनीयता का मूल्यांकन विचारण के दौरान किया जाएगा।

27. तदनुसार, पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस राय पर पहुंचा है कि प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, जिन्हें इस स्तर पर बिना किसी तथ्य के नहीं कहा जा सकता।

28. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस समय आवेदक को ज़मानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।

29. यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान मामले में की गई टिप्पणियाँ केवल ज़मानत आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से हैं और इन्हें विचारण के परिणाम को प्रभावित नहीं करना चाहिए तथा इसे मामले के गुणागुण पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में भी नहीं लिया जाना चाहिए।

30. उपरोक्त को ध्यान में ध्यान में रखते हुए, वर्तमान ज़मानत आवेदन खारिज किया जाता है।

न्या. अमित महाजन

23 अक्टूबर, 2024

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*